APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत उपखंण्ड अधिकारी गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट कंवलियास

रामा पिता चतुर्भुज नायक — बनाम — श्रीमति रेखा पत्नि जगदीश चन्द्र रेगर
निवासी–भवानीपुरा, सरेरी — निवासी– आजाद नगर , भीलवाडा

किस्म मु.–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 251 क रा.ले.रेवे. एक्ट प्रकरण संख्या– 197/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2018	पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट कंवलियास पर पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित । अप्रार्थी अनुपस्थित । विधिवत आवाजें लगवाई गई । अप्रार्थीया को नोटिस जरिये रजिस्टर्डड एडी से भिजवाये गये थे एडी रसीद बाद सर्विस प्राप्त होकर शामिल पत्रावली होने से अप्रार्थीया के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है । वकील प्रार्थी की इस्तदुआ करने पर उनकी बहस सुनी गई । वक्त बहस वकील प्रार्थी का कथन था कि आराजी मुतदाविया ग्राम कंवलियास तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 1602 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा स्थित है । जिस पर आने जाने के लिए कोई रास्ता विद्यमान नही है प्रार्थी पिछले काफी वर्षो से रास्ता लेने का प्रयास कर रहे है । मगर विपक्षीया रास्ता नही दे रही है । प्रार्थी को विपक्षीया की आराजी सं. 1604/4, 1604/3 में रास्ता 25 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करावें । तहसीलदार हुरडा से मौके की रिपोर्ट तलब की जाने पर तहसीलदार हुरडा के द्वारा आराजियात का मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2018/955/ दिनांक 30.04.2018 प्रस्तुत की गई है । जिस अनुसार प्रार्थी को उनके खातेदारी आराजी नं. 1602 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा पर आने जाने के लिए निकटतम रास्ता आराजी नं. 1604/4, 1604/3 से चाहा गया है जो मौके के अनुसार लघुतम रास्ता नहीं है । प्रार्थी की आराजियात नं. नम्बर 1602 मे से आने जाने के लिए मौके अनुसार लघुतम रास्ता आराजी नं. 1601/2 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा से होकर है । जो अन्य की खातेदारी की है । जो इस प्रकरण मे पक्षकार नही है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता है । ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है । पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 30.05.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट कंवलियास पर सुनाया गया ।	

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner